सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित।

3-5-2021 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ कोविड-19 कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-5-2021 को पेश हो।

रीडर

सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन घोषित।

18-5-2021 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ कोविड-19 कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-6-2021 को पेश हो।

रीडर

15-6-2021 - पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के कारण कोई - उप० नहीं। गाईडलाईनानुसार पत्रावली दि० 6-7-2021 को पेश हो।

6-7-2021 वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम प्राप्त हो चुकी है। बहस हेतु वकील उभयपक्ष समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 12-7-2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

12-7-2021 वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के वकील विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

दीगण TMR
लिखा
ताकर

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख निर्णय
30/2020	2.7.2020	12.7.2021

[illegible]रया पुत्र रामचन्द, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा —वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र रामचंद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपरु तह0 सपोटरा
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री ललित कुमार वर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0न0 258 व 260 ग्राम छाबा मे स्थित रही है। भूप्रबन्ध मे इनके नवीन नम्बर ख0न0 608 रकबा 0.08 है0, ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 बनाये गये है। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि रही है जो वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्व0 पिता रामचंद पुत्र मदारी के नाम दर्ज है। इस भूमि से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा किसी अन्य का कोई सम्बन्ध या वास्ता नही है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामचन्द की 1998 मे मृत्यु हो जाने के पश्चात से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। भूमि साबिक ख0न0 258 व 260 के सेटिलमेन्ट से पूर्व के राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम रामचंद पुत्र मदारी कौम चमार दर्ज था जो भूप्रबन्ध विभाग की गलती के कारण वर्तमान मे रामचन्द पुत्र मदारी कौम माली दर्ज हो गया है। जिसकी जानकारी वादी को सर्वप्रथम दिनांक 4.6.2020 को हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर अपनी सुविधा अनुसार भूमि को बांट रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत वादी की भूमि हडपने की रही है। इसी मंशा से वह आये दिन वादी को भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करता रहा है। दिनांक 15.6.2020 को वादी अपने हिस्से की भूमि की सार संभाल करने मौके पर गया तो प्रतिवादी ने कहा कि वादी का इस जमीन मे कोई हिस्सा नही है क्योकि वादी बाहर रहता है, सारी जमीन प्रतिवादी की है। [illegible] प्रतिवादी से कहा कि भूमि मे 1/2 हिस्सा मेरा भी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 वादी को गाली गलौच करने लगा व मारपीट करने पर आमादा हो गया। वादी को मौके से भगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible] इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर भूमि [illegible] ख0न0 2[illegible] व 280 से बने नवीन ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा के राजस्व रिकार्ड मे किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द पुत्र मदारी कौम माली की दुरूस्ती की जाकर रामचन्द पुत्र मदारी कौम चमार अंकित किया जावे। उपरोक्त भूमि मे वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एंड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से का पृथक नम्बर कायम किया जावे। प्रतिवादी सख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खात संख्या 188 ग्राम छाबा, नकल जमाबंदी संवत 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, नकल खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2019, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीरामचन्द बैरवा, फोटोकॉपी आधारकार्ड भौरया पुत्र रामचन्द प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी जाकर वादीगण का वाद दि. 10.02.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 21.6.2021 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर अपनी सहमति दी है। फलस्वरूप तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 21.6.2021 को तैयार की गई विभाजन स्कीम के अनुसार उभयपक्षों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: Self Attested

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 स्थित ग्राम छाबा का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

1. वादी भौरया पुत्र रामचंद बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 608/2 रकबा 0.04 है0 एवं ख0न0 610/2 रकबा 0.73 है0 कुल रकबा 0.77 है0 स्थित ग्राम छाबा रहेगी।

2. प्रतिवादी रामफूल पुत्र रामचंद बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 608/1 रकबा 0.04 है0 एवं ख0न0 610/1 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 0.76 है0 स्थित ग्राम छाबा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2021 को सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

इजलास उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

भौरया पुत्र रामचन्द, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा —वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र रामचंद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपरु तह0 सपोटरा

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 30/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री ललित वर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 स्थित ग्राम छाबा का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः—

1. वादी भौरया पुत्र रामचंद बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 608/2 रकबा 0.04 है0 एवं ख0न0 610/2 रकबा 0.73 है0 कुल रकबा 0.77 है0 स्थित ग्राम छाबा रहेगी।

2. प्रतिवादी रामफूल पुत्र रामचंद बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 608/1 रकबा 0.04 है0 एवं ख0न0 610/1 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 0.76 है0 स्थित ग्राम छाबा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.07.2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2020	2.7.2020	10.2.2021

[illegible] पुत्र रामचन्द, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा ——वादी

बनाम

1. रामफूल पुत्र रामचंद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपरु तह0 सपोटरा
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री ललित कुमार वर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0न0 258 व 260 ग्राम छाबा मे स्थित रही है। भूप्रबन्ध मे इनके नवीन नम्बर ख0न0 608 रकबा 0.08 है0, ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 बनाये गये है। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि रही है जो वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्व0 पिता रामचंद पुत्र मदारी के नाम दर्ज है। इस भूमि से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा किसी अन्य का कोई सम्बन्ध या वास्ता नही है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामचन्द की 1998 मे मृत्यु हो जाने के पश्चात से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। भूमि साबिक ख0न0 258 व 260 के सेटिलमेन्ट से पूर्व के राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम रामचंद पुत्र मदारी कौम चमार दर्ज था जो भूप्रबन्ध विभाग की गलती के कारण वर्तमान मे रामचन्द पुत्र मदारी कौम माली दर्ज हो गया है। जिसकी जानकारी वादी को सर्वप्रथम दिनांक 4.6.2020 को हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर अपनी सुविधा अनुसार भूमि को बांट रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत वादी की भूमि हडपने की रही है। इसी मंशा से वह आये दिन वादी को भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करता रहा है। दिनांक 15.6.2020 को वादी अपने हिस्से की भूमि की [illegible] मौके पर गया तो प्रतिवादी ने कहा कि वादी का इस जमीन मे [illegible] नही है क्योकि वादी बाहर रहता है, सारी जमीन प्रतिवादी की है। [illegible] ने प्रतिवादी से कहा कि भूमि मे 1/2 हिस्सा मेरा भी है। जिस पर प्रति[illegible] संख्या 1 वादी को गाली गलौच करने लगा व मारपीट करने पर आमादा हो गया। वादी को मौके से भगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (रा०ज०)

[illegible] वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर भूमि [illegible] खा0नं0 258 व 260 से बने नवीन ख0नं0 608 रकबा 0. [illegible] है0 एवं खा0नं0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा के राजस्व रिकार्ड मे [illegible] गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द पुत्र मदारी कौम माली की दुरूस्ती की जाकर रामचन्द पुत्र मदारी कौम चमार अंकित किया जावे। उपरोक्त भूमि मे वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एंड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से का पृथक नम्बर कायम किया जावे। प्रतिवादी सख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खात संख्या 188 ग्राम छाबा, नकल जमाबंदी संवत 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, नकल खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2019, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीरामचन्द बैरवा, फोटोकॉपी आधारकार्ड भौरया पुत्र रामचन्द प्रस्तुत किये है।

दिनांक 10.2.2021 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के वकील एवं प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर न्यायालय मे उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादीगण के वकील ने वादग्रस्त भूमि मे उनके पिताजी की जाति जो भूप्रबन्ध के दौरान चमार के स्थान पर माली दर्ज कर दी गई है को माली के स्थान पर वर्तमान अभिलेख मे चमार दर्ज करने का निवेदन किया। इस पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने पत्रावली का अवलोकन कर संशोधन करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इसी प्रकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वकील वादग्रस्त भूमि मे उनके पिता के स्थान पर 1/2–1/2 हिस्से का खातेदारी घोषित करवाने एवं वादीग्रस्त भूमि की मीट्स एंड बाउन्डस के आधार पर विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा में दर्ज प्रविष्ठि " रामचन्द पुत्र मदारी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. बाढ सलेमपुर खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ठि " रामचन्द पुत्र मदारी हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. बाढ सलेमपुर खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 –1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा का हिस्सा 1/2 –1/2 अनुसार मीट्स एंड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादी द्वारा भुगतान की जावेगी। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(फॉर्म 20, रूल 3—रूल दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

इस अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0.

उनवान

...पुत्र रामचन्द, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा —वादी

बनाम

1. ...फूल पुत्र रामचंद, बैरवा निवासी बाढ सलेमपरु तह0 सपोटरा

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 30/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री ललित कुमार वर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा में दर्ज प्रविष्ठि " रामचन्द पुत्र मदारी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. बाढ सलेमपुर खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ठि " रामचन्द पुत्र मदारी हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. बाढ सलेमपुर खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 –1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि ख0न0 608 रकबा 0.08 है0 एवं ख0न0 610 रकबा 1.45 है0 ग्राम छाबा का हिस्सा 1/2 –1/2 अनुसार मीट्स एंड बाउण्ड्स से भूमि की विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादी द्वारा भुगतान की जावेगी। पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.2.2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:13:09 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)